

12.41 hrs.

RE SUPPLY OF INFERIOR QUALITY RICE IN DELHI RATION SHOPS

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) Sir, I want to make a submission. Yesterday I put a question to the hon Minister of Food regarding the supply of bad quality of rice in Delhi. In his reply, the hon Minister said that he had received the complaints. But nothing has been done so far. Yesterday I checked in most of the ration shops and I have found that the same quality of rice is being supplied throughout Delhi. It is a very serious matter. At least five million people are adversely affected. This quality of rice has been supplied for the last five or six months and not for the last two months. Therefore I would request through you the hon Minister of Parliamentary Affairs to convey our feelings to the concerned Minister. Otherwise there may be a serious trouble. The people will fall sick. There was already a meeting in this connection held by the Delhi Women. They wanted to gherao the Minister concerned. This kind of thing should not be allowed in the Capital. I would therefore request through you Sir the Minister of Parliamentary Affairs to convey our feeling to the Minister concerned.

THE MINISTER OF PARLIAMEN
TARY AFFAIRS AND LABOUR
(SHRI RAVINDRA VARMA) I will convey this to the Minister concerned

12.43 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(1) REPORTED CHEATING OF POLICY HOLDERS BY LIC

श्री सुभाष झाड़ा (बैतूल) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत 13 मार्च के नवभारत टाइम्स के एक समाचार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। 13 मार्च के नवभारत टाइम्स में

“माधरिको के साथ जीवन बीमा निगम की धोखाधड़ी” नामक समाचार छपा है। मैं माननीय मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहूँगा कि जीवन बीमा निगम द्वारा 1974 के बाद अपनी नीतियों को बदल कर और छद्म नीति अपना कर हजारों लाखों बीमा कराने वाले लोगों के साथ अन्याय किया गया है और उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। 1974 तक जीवन बीमा निगम की यह योजना थी कि यदि कोई बीमा कराने वाला व्यक्ति लगातार 3 वर्ष तक अपना प्रीमियम जमा करने के बाद पैसा जमा नहीं कराता है, तो जितनी भी राशि उमम जमा की है, उमम से उसे एक ही पैसा वापस नहीं मिलेगा। सन् 1974 के अचानक जीवन बीमा निगम ने अपनी नीति में परिवर्तन करके इस अवधि को 3 वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्ष कर दिया और इस शर्त के बदलने की किसी का भी सूचना नहीं दी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस नीति के बनने के बाद जिस किसी ने साठे चार बर्ष या पौने पाब बर्ष तक पैसा जमा किया हो और उसके बाद वह पैसा जमा करने में असमर्थ रहा हो, तो उसको उसके द्वारा जमा किया गया प्रीमियम वापस नहीं लौटाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी व्यक्ति ने 15 साल का 20 हजार रुपये का बीमा कराया हो और उमम ने तीन चार बर्ष तर् 7,500 या 8,000 रुपये जमा किये हो, तो नीति में परिवर्तन होने के कारण जिसका उसको पता नहीं है, उसका वह पैसा डूब जाएगा। इस तरह से जीवन बीमा निगम को लाखों रुपये का फायदा केवल दिल्ली में ही हुआ है और पूरे देश में तो करोड़ों रुपये का फायदा हो सकता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उन बीमा माहूको को उनकी रकम वापस करेगी जिन्होंने 1974 से पहले बीमा कराया हो और लगातार तीन वर्ष तक प्रीमियम भरते रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उन जीवन बीमा निगम के उच्च अधिकारियों के खिलाफ

कोई कार्रवाई करेगी जिन्होंने अपने बीमा एजेंटों को इस शर्त को बताने से रोक दिया जिसके कारण हवाई कोनों का नुकसान हुआ। यह शर्त पूर्व सरकार के समय में बतली गई थी और हो सकता है कि सरकार ने जीवन बीमा निगम के उच्च अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला हो कि वे इस तरह के आरोपों को एजेंटों को न बतलाने को कहें, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार ने भी जीवन बीमा निगम के अधिकारियों पर ऐसा दबाव तो नहीं डाला है और यदि हमारी सरकार ने ऐसे आरोप नही दिये है तो क्या सरकार उन उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिन्होंने अपने एजेंटों को इस शर्त को न बताने के लिए कहा हो।

तीसरे क्या यह सही नहीं है कि जनता सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गयी है और गलत समाचार दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार बीमा डेवलपमेंट अधिकारियों के नेता के खिलाफ कार्यवाही करेगी अगर यह खबर गलत हो?

(ii) REPORTED LEAKAGE OF ALVA COMMISSION REPORT

SHRI BHAGAT RAM (Phillaur):
With your permission, I am raising this matter of urgent public importance under rule 377: the statement of Shri Raj Narain hon. Health Minister in the Lok Sabha on 2nd March 1978 that the report of the Alva Commission has come as a "shocking revelation" on the treatment meted out to Shri Jayaprakash Narain during his detention in the PGI and the news item in the Indian Express, March 4, 1978 'PGI doctors indicated' is causing grave doubts among the people of the country about the PGI, Chandigarh. The entire nation was looking forward to see the real contents of the report which the hon. Minister promised to place on the Table of the House. But the subsequent decision of the Minister not to disclose the so-called 'interim report' to spread dissatisfaction and suspicious amongst the people. Now a news report from the Tribune,

Chandigarh dated 12-3-1978 under the heading of 'Mystery of JP's Digoxin Toxicity not solved' has disclosed really the shocking revelations which must be probed through a judicial enquiry to clear the doubts and suspicion. The demand for a judicial enquiry as put forth by PGI doctors has a general support from all walks of life and must be conceded to so that justice prevails and the public is made aware of the facts. Only in judicial enquiry the realities can be brought to book where everybody shall have the right to say and the right to defence. In view of the above, I would like to request the hon. Minister to make a categorical statement about the leakage of report to the Press before it is presented to the Parliament and I also strongly demand a judicial enquiry into the whole incident.

(ii) SITUATION IN ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) :
अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अज्ञानगढ़ी और गैरअज्ञानगढ़ी स्थिति से उत्पन्न अज्ञान और उपद्रवग्रस्त वातावरण की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ।

वहाँ के वाइस चांसलर ने विश्वविद्यालय को दो भागों में विभक्त कर दिया है— एक तो अज्ञानगढ़ी और दूसरा गैरअज्ञानगढ़ी। अज्ञानगढ़ी से उनका मतलब यह है कि अलीगढ़ से पूर्व के जो भी विद्यार्थी हैं वे अज्ञानगढ़ी हैं। इस सम्बन्ध में वहाँ के एक विद्यार्थी, श्री अमजदबां जो कि सुलेमान हाल में रहते हैं, ने जब वाइस चांसलर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह बताया कि अज्ञानगढ़ी भीस अलीगढ़ यूनीवर्सिटी से पूर्व और बिहार के बाहर तक का क्षेत्र। इस स्थिति के चलते वहाँ के विद्यार्थियों के संगठन ने, अध्यापक संगठन ने, कर्मचारियों के संगठन ने वहाँ के वाइस चांसलर को वहाँ से हटाने की मांग की है। स्थिति इतनी बर्तुर हो गई है कि इस अज्ञानगढ़ी